न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी हरबिन्दर डी. सिंह R.A.S

मिसल नं0 29/प्रा.पत्र/2019(2019/00359)

तारीख दायर 06.05.2019

तारीख फैसला 28.08.2024

1. शंभूलाल आयु 72 वर्ष आ0 श्री मँवरलाल जाति जॉगिड, निवासी बहादूर सिंह सर्किल, पुलिस लाईन रोड़ बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी (राज0)
2. बादाम बाई पत्नि बिरधीलाल आयु 76 वर्ष जाति जॉगिड निवासी कुभा स्टेडियम रोड, बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी (राज0)

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार आयु 54 वर्ष आ0 श्री रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी छत्रपुरा बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी (राज0)
2. शिवप्रसाद शर्मा आ0 श्रीनिवास जाति ब्राह्मण निवासी गोविन्दनगर थाना, उद्योग नगर कोटा, जिला कोटा (राज0)
3. सुरेश कुमार सेनी आ0 भंवरलाल सेनी जाति माली निवासी (बरूँधन वाले) जिला बूंदी (राज0)
4. सलीम आ0 मोहम्मद युसूफ़ जाति मुसलमान निवासी नहर पुलिया के पास, रेल्वे कॉलोनी कोटा (राज0)

–अप्रार्थीगण–

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थीगण :– श्री अनन्त शर्मा
अधिवक्ता अप्रार्थीगण:– श्री बृजमोहन गौतम

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212 आर.टी.एक्ट

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमि ख0सं0 766/80 रकबा 3.13 बीघा वाके ग्राम खेडला पटवार हल्का अकतासा तहसील तालेडा में स्थित है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की हैं कृषि भूमि ख0सं0 678/80 रकबा 3.13 बीघा वाके ग्राम खेडला पटवार हल्का अकतासा तहसील तालेडा में स्थित है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। उक्त दोनों आराजी के उत्तरी ओर कृषि भूमि ख0सं0 602/80 रकबा 7.07 बीघा जो कि प्रतिपक्षी के खातेदारी में दर्ज है। प्रतिपक्षी द्वारा प्रार्थीगण की भूमि की सीमा में जबरन अतिक्रमण कर प्लॉट काटकर निर्माण कार्य करने पर आमादा है। जिसका प्रतिपक्षी को कोई हक एवं अधिकार नहीं है। प्रतिपक्षी को मना करने पर प्रतिपक्षी ने प्रार्थीगण को धमकाया एवं गम्भीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। यदि प्रतिपक्षी द्वारा प्रार्थीगण की भूमि में जबरन प्लॉट काटकर निर्माण कार्य कर लिया गया तो प्रार्थीगण अपने खाते व कब्जे की भूमि का उपयोग उपभोग करने से महरूम हो जावेगें। जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे प्रतिपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे की प्रतिपक्षी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पर उत्तरी दिशा की सीमा के भीतर जबरन अतिक्रमण नहीं करे, प्लॉट नही काटें तथा निर्माण कार्य नहीं करें। उक्त कार्य न तो स्वंय करे न अन्य कोई से करावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के अधिकार सुरक्षित रखने हेतु अग्रिम आदेश तक अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द कर जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित तथ्य ख०स० 677/80 ग्राम खेड़ला की भूमि होना स्वीकार है। शेष तथ्य स्वीकार नहीं अस्वीकार है। सम्पूर्ण भूमि पर प्रार्थी संख्या 1 का कब्जा है या नही, इस तथ्य के सबंध में यह निवेदन है कि प्रार्थी संख्या 1

ने उक्त भूमि पर प्लॉट बनाकर भूमि को बेचान कर दिया है। भूमि को कृषि भूमि के स्वरूप से बिगाड कर बिना संपरिवर्तन किये बिना ही प्लॉट काटकर उक्त भूमि को बेचान कर दिया है। इस कारण उक्त भूमि पर प्लॉटो के क्रेताओ का कब्जा है एवं उक्त भूमि पर ग्राम खेड़ला के निवासियों ने मन्दिर एवं चारदीवारी बना दी है, जो सहमति बँटवारा अप्रार्थी राजेन्द्र के होने के बाद बनाया हैं एवं भूमि पर प्लॉटिंग के अनुसार चौड़ा रोड़ बना दिया है। इस कारण उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी संख्या 2 का कब्जा नही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित तथ्य में अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार के ख0सं0 602/80 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा भूमि ग्राम खेड़ला में होना स्वीकार है जिस पर अप्रार्थी काबिज है। अप्रार्थी 2 द्वारा अपने स्वयं की खातेदारी आधिपत्य की उक्त भूमि काबिज रहने का पूर्ण अधिकार है। अप्रार्थी द्वारा किसी भी भूमि पर कोई अतिक्रमण या निर्माण नही किया जा रहा है। अप्रार्थी राजेन्द्र द्वारा प्रार्थीगण की किसी भी भूमि पर कोई जबरन अतिक्रमण या प्लॉट नही काटे जा रहे है, न ही कोई निर्माण करवाया जा रहा है बल्कि प्रार्थीगण उक्त वाद की आड में अप्रार्थी राजेन्द्र की भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करना चाहते है। जिसका उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नही है। स्वंय प्रार्थीगण ने ख0सं0 677/80 एवं 678/80 ग्राम खेड़ला की भूमि पर भूखण्डो में विभक्त करके अन्य व्यक्तियो को बेचान कर दी है। भूमि पर रोड़ बना रखे है एवं मन्दिर बना रखा है। प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र की आड में अप्रार्थी की भूमि पर कब्जा करना चाहते है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की किसी भी भूमि पर न तो अतिक्रमण किया जा रहा है न ही कोई निर्माण या जबरन प्लॉट काटे जा रहे है बल्कि प्रार्थीगण अप्रार्थी राजेन्द्र की भूमि जिसका स्वामी खातेदार अप्रार्थी राजेन्द्र है जिसके खसरा संख्या 602/80 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा ग्राम खेड़ला उक्त खातेदारी की भूमि पर अप्रार्थी राजेन्द्र का कब्जा है। प्रार्थीगण को अप्रार्थी की किसी भी भूमि के सबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नही है। इस उपरांत भी प्रार्थीगण द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर स्थगन प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, इस कारण प्रार्थीगण का उक्त वाद खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण की भूमि अलग है एवं अप्रार्थीगण की भूमि अलग है। प्रार्थीगण द्वारा अवैध एवं कानूनी रूप से भूखण्ड में विभक्त कर उक्त भूखण्डो को अन्य व्यक्तियो को बेचान कर दिया है इस कारण भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नही है। कब्जे के अभाव में अस्थायी निषेधाज्ञा का वाद पोषणीय नही है, खारिज होने योग्य है। अप्रार्थी राजेन्द्र स्वयं की खातेदारी आधिपत्य की भूमि पर काबिज है। प्रार्थीगण की किसी भी भूमि पर कोई कब्जा अप्रार्थी द्वारा नही किया गया है बल्कि यहाँ यह विदित है कि स्वयं प्रार्थी संख्या 1 के द्वारा ख0स0 677/80 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा एवं 678/80 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि का दिनांक 16.05.2019 को मौका पर्चा, सीमाज्ञान प्रार्थी संख्या 1 के पूत्र मुकेश शर्मा की उपस्थिति एवं अन्य गवाहान की उपस्थिति में पटवारी हल्का जमीतपुरा द्वारा बनाया गया है जिससे स्वयं मुकेश शर्मा भी सन्तुष्ट था, इस उपरांत भी झूठे तथ्यो के आधार अप्रार्थी राजेन्द्र की भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत से उक्त वाद झुठे तथ्यो के आधार पर पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

बहस उभयपक्ष सूनी गई । वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए मुल रूप प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारी की भूमि के उत्तरी ओर प्लाट काट कर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य नही करने हेतु पाबन्द कराये जाने का निवेदन किया गया।

वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने अपनी भूमि पर प्लाट काट कर दीगर व्यक्तियो को भूमि का बेचान कर दिया है, भूमि पर रोड एवं मन्दिर बना हुआ है। उक्त भूमि का प्रार्थीगण के पुत्र की उपस्थिति में सीमाज्ञान भी हुआ जिससे प्रार्थीगण का प्रतिनिधी संतुष्ठ था। प्रार्थीगण ने यह वाद अप्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने की मंशा से प्रस्तुत किया है जिसे मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष सूनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। उक्त वाद का मूल आधार प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारी की भूमि के उत्तरी ओर प्लाट काट कर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य नही करने हेतु पाबन्द कराये जाने हेतु पेश किया गया । प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में वाद वर्णित आराजी की नकल जमाबन्दी खाता सं0 167 वाके ग्राम खेडला खातेदार श्री शम्भलाल पुत्र भवंरलाल संवत 2076 एवं खाता सं0 143 वाके ग्राम खेडला श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र रामस्वरूप संवत 2076 एवं रजिस्टर्ड विकय विलेख 19.12.2011, ऑनलाईन नक्शा एवं श्री मुकेश शर्मा

द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति पेश की गई जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारान् के मध्य भूमि ख0 सं0 677/80 एवं 602/80 के मध्य सीमाओ का विवाद है जिसका निस्तारण वाद में साक्ष्य एवं रेकार्ड के आधार पर होगा। किन्तु वाद के निस्तारण तक उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने से प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। अप्रार्थी अथवा दीगर व्यक्तियो द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने पर प्रार्थी के खातेदारी अधिकारी की भूमि पर खातेदार के निहित हितो एवं सुविधाओ के उपयोग में अडचन उत्पन्न होगी ऐसी स्थिति में सुविधा के सन्तुलन के बिन्दु पर विचार करने पर यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित होता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेज तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करने पश्चात अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर विचार करने पर यदि प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओ का स्पष्ट निर्धारण होने से पूर्व किसी प्रकार का दीगर व्यक्ति द्वारा प्लाट काट कर विकय करना अथवा निर्माण इत्यादि कर लिया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी एवं लिटिगेशन भी बढेगा। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होने से सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के हितो की रक्षा हेतु यहाँ यह आवश्यक हो जाता है कि अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वाद वर्णित आराजी की मौके की यथास्थिति बनाये रखे। वाद वर्णित आराजी पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नही करे ना अन्य से करावें। पत्रावली मूलवाद के साथ संलग्न की जाकर बाद पुर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को सरेइजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा